HOTEL AND RESTAURANT ASSOCIATION (WESTERN INDIA)

<u>होटल उद्योग में माईस पर संकट</u>

एचआरएडब्लूआई ने हॉस्पिटेलिटी के लिए जीएसटी के आईटीसी पक्ष पर पुनर्विचार करने का निवेदन किया

इस माह गुड्स एवं सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) लागू होने के बाद मीटिंग्स, इन्सेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एवं एक्जिबिशंस (माईस) संबंधित गतिविधियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जीएसटी लागू होने के बाद एक अनियमितता यह सामने आई कि राज्य के बाहर होटलों में आयोजित माईस गतिविधियों व ईवेंट्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) नहीं लिया जा सकता है। इस वजह से पहले से बुक की गई ईवेंट्स निरस्त या पोस्टपोन हो रही हैं। माईस टूरिज़्म का विकास सबसे तेजी से बढ़ते सेगमेंट्स में से एक है और इसमें वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए होटल एण्ड रेस्टोरैंट एसोसिएशन ऑफ़ वेस्टर्न इंडिया (एचआरएडब्लूआई) ने सरकार से जीएसटी के इस विशेष पक्ष पर पुर्नविचार करने का निवेदन किया है।

श्री दिलीप दतवानी, प्रेसिडेंट, एचआरएडब्लूआई ने कहा, ''भारत के होटलों में पिछले साल के मुकाबले इस साल माईस बुकिंग्स में कमी आई है। एडवांस बुकिंग निरस्त की जा रही हैं और नई बुकिंग नहीं हो रही हैं। व्यापारों ने ऊंचा जीएसटी स्वीकार कर लिया हो, लेकिन आईटीसी के बिना यह व्यवहारिक नहीं होगा। माईस टूरिज़्म एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है, जिसे हमारा देश अनदेखा नहीं कर सकता।''

उद्योग के लिए जीएसटी दरों के विषय में उन्होंने कहा,"7500 रु. या उससे अधिक किराए के कमरों के लिए 28 प्रतिशत की जीएसटी दर दुनिया में सर्वाधिक है और इससे कैशफ्लो पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा टैक्स की प्रतिशतता का निर्धारण प्रकाशित या घोषित दर पर होगा, जो उद्योग के लिए काफी कठिनाई पैदा कर रही है। इस संगठन ने सरकार से यह शर्त हटाने और वास्तविक विनिमय के मूल्य पर टैक्स प्रतिशतता का निर्धारण करने का निवेदन किया और यह भी मांग की कि इंटरस्टेट एकोमोडेशंस के लिए आईटीसी क्लोज़ की पुनः समीक्षा की जाए।''

जीएसटी हाईवे पर शराब बिक्री बंद करने के बाद जल्द ही लागू कर दिया गया। इसलिए पहले से ही राजस्व प्रभावित होने के बाद इस कदम से होटल उद्योग पर दोहरी मार पड़ी। कई होटलों को तो अपना व्यापार चलाना मुश्किल हो जाएगा, और वो बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगे, अन्यथा उन्हें अपने ऑपरेशन्स स्केल डाउन करने होंगे और नौकरियों का नुकसान होगा तथा वृद्धि रुक जाएगी।

श्री कमलेश बारोट, पूर्व प्रेसिडेंट, एचआरएडब्लूआई एवं फेडरेशन ऑफ़ होटल एण्ड रेस्टोरैंट एसोसिएशंस ऑफ़ इंडिया (एफएचआरएआई) ने कहा, ''हॉस्पिटेलिटी के लिए जीएसटी की सबसे बड़ी कमी है कि माईस के लिए जिन राज्यों में वो काम करते हैं, उसके अलावा अन्य में आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। आईटीसी तभी उपलब्ध होगा जब माईस की व्यवस्था करने वाली इकाई का अपना जीएसटी उसी राज्य में रजिस्टर्ड होगा, जहां यह आयोजित होता है। इंटीग्रेटेड गूड्स एण्ड सर्विसेस टैक्स (आईजीएसटी) पर आईटीसी होटल उद्योग के लिए लागू नहीं है। सेट- ऑफ़ न मिल पाना किसी भी व्यापार के लिए अपने राज्य से बाहर कोई बिजनेस करना हतोत्साहित करेगा। इसलिए ऐसे उद्यम या तो माईस अपने राज्यों में आयोजित करेंगे या वो ऐसे देश में जाएंगे, जहां न केवल टैक्स कम होगा, बल्कि वो उस देश से बाहर जाने पर टैक्स रिफंड भी पा सकेंगे। हम इस संबंध में पर्यटन विभाग के साथ बात कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आईटीसी के लिए माईस को शामिल करने के लिए नियम में बदलाव किया जाएगा।''

हॉस्पिटेलिटी उद्योग में हाल ही में लक्ज़री 5 सितारा होटलों पर लागू किए जाने वाली टैक्स दरें स्पष्ट हुई हैं। लक्ज़री होटलों को कमरे के किरायों के विपरीत डिफ़ॉल्ट 28 प्रतिशत की जीएसटी ली जानी थी। लेकिन इन होटलों के लिए भी जीएसटी प्रकाशित टैरिफ दरों पर आधारित होंगे और यदि टैरिफ 7500 रु. और उससे अधिक है, तभी वो 28 प्रतिशत की जीएसटी लेंगे।